बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–18 / 2017– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – पटना में प्रस्तावित डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु परामर्शी के चयन प्रक्रिया पर व्यय होने वाली राशि रू॰ 95,22,000=00 (पंचानवे लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–159(वास्तु), दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्रदान की गई सहमति एवं विभागीय पत्रांक–969, दिनांक 21.04.2017 के आलोक में पटना में प्रस्तावित डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु परामर्शी के चयन प्रक्रिया पर व्यय होने वाली राशि रू॰ 95,22,000=00 (पंचानवे लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन विस्तृत शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 01–मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– 03-4059800510117 है।

3. उक्त राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना भवन प्रमंडल, पटना को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत / विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना होगें।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार पटना कोषागार, पटना से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2199 / वि॰, दिनांक 24.03.2017 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 06.06.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–04 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰ / –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–18 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–18 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, पटना कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–18 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव / मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–18 / 2017– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰–18 / 2017– 1483 / पटना, दिनांक– 27-6-017

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / निदेशक / उप निदेशक (यो0) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.06.17
सरकार के उप सचिव

24/6/17